राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(263) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन/2015–16 जयपुर, दिनांक 15 जून, 2017

जिला कलक्टर
समस्त, राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कियान्विति विभिन्न विकास कार्यों के सम्पादन, निर्माण कार्यों में अर्द्धकुशल श्रमिकों के नियोजन, कदमी रास्तों पर सडक निर्माण, गांवों में श्रमिकों के नियोजन पर साफ–सफाई की दर एवं लौहा सीमेन्ट की कय मासिक दरें निर्धारण कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– विभागीय स्थाई आदेश संख्या 31/2017, 32/2017, पत्र दिनांक 13.04.2017.

महोदय,

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कियान्विति की जा रही सभी योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे विकास कार्यों के सम्पादन व्यवस्था हेतु प्रासंगिक स्थाई आदेश, पत्रों द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त प्रासंगिक आदेशों की कियान्विति के सम्बन्ध में विभाग को प्राप्त शिकायतों के कम में यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति स्तर पर आदेशों के सम्बन्ध में या तो पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है अथवा आदेशों की कियान्विति में शिथिलता बरती जा रही है।

अतः उक्त सम्बन्ध में प्रासंगिक आदेशों की प्रति पुनः संलग्न कर लेख है कि आदेशों की प्रति ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराते हुए जिला परिषद् से अपेक्षित निम्नानुसार अपेक्षित कार्यवाही दिनांक 30 जून, 2017 तक कराकर विभाग को अवगत करावें :–

1. विभागीय स्थाई आदेश संख्या– 31/2017 दिनांक 13.4.2017 के बिन्दु संख्या– 4 में गांवों में श्रमिकों का नियोजन कर साफ–सफाई व विभिन्न गतिविधियों की दरें तय कर बीएसआर दरें निर्धारित कराने की कार्यवाही करावें।
2. विभागीय स्थाई आदेश संख्या– 31/2017 दिनांक 13.4.2017 के बिन्दु संख्या– 5 में आम रास्ता में खातेदार की सहमति से सडक निर्माण के स्पष्ट आदेश के बावजूद जिला परिषद/पंचायत समिति द्वारा कियान्वित नहीं कराये जाने की प्राप्त शिकायतों की जॉच कर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें। उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित को पुनः निर्देशित करें।
3. विभागीय पत्र दिनांक 13 अप्रेल, 2017 के द्वारा विभागीय योजनाओं अंतर्गत अर्द्ध कुशल नियोजन की दरें तय कर लागू करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि जिलों द्वारा अभी तक दरें निर्धारित नहीं की गई है, के कम में उक्त कार्यवाही 15 दिवसों में पूर्ण कराकर अर्द्धकुशल श्रमिकों की दरें लागू कराने हेतु निर्देशित करें।
4. विभिन्न विकास कार्यो के संपादन हेतु बीएसआर दरों में सीमेन्ट एवं लोहे की दरें विभागीय निर्देशानुसार तिमाही रूप से दर निर्धारण सुनिश्चित करावें।
5. महात्मा नरेगा से अनुमत विकास कार्य पंचायती राज संस्थाओं को दी जा रही अनुदान राशि से कन्वरजेंस से स्वीकृत कराने के प्रयास किये जावें।

भवदीय,

(सीमा सिंह)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

D:\iay\letter to district\Letter.docx

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7. निजी सचिव, आयुक्त, स्वच्छ भारत मिशन।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त।
9. परि.निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) को बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

D:\iay\letter to district\Letter.docx